संख्या- 5/1107/सत्रह-म-2014-6-9(40) 2014

योगेश कुमार
उ0प्र0 शासन ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक-27 जून,2014

विषय- मछुआ आवास की इकाई लागत बढाकर लोहिया आवास के अन्तर्गत निर्मित आवास के समान किये जाने के सम्बंध में।

प्रदेश में मत्स्य सेक्टर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अन्तस्थलीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है। मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने में मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की भूमिक है। प्रदेश में मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ विभाग द्वारा भारत सरकार की सहायता से मछुआ आवास योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत सहायोग से गरीब मछुआ समुदाय के पात्र व्यक्तियों को मछुआ आवास आंवितत किये जाते हैं।

प्रदेश में संचालित लोहिया ग्राम आवास योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण कराया जाता है,परन्तु मछुआ आवासों की निर्माण इकाई लागत लोहिया आवासों की निर्माण इकाई लागत में काफी अन्तर है जिसका तुलानात्मक विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	योजना का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	निर्माण इकाई लागत
1-	मछुआ आवास योजना	35 वर्ग मीटर तक सीमित	75,000/- केन्द्रांश 50 प्रतिशत राज्यांश 50 प्रतिशत
2-	लोहिया ग्रामीण आवास योजना	21.11	शासकीय अंश 1,60,000+लाभार्थी अंश 25,000 कुल 1,85,000

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वर्तमान समय में मछुआ आवासों की निर्माण प्रति इकाई लागत रू075,000 (रू0 पचहत्तर हजार) है, जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश है। मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए मछुआ कल्याण आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये जाने वाले आवासों की निर्माण लागत लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवासों की भॉति मछुआ आवास योजनाकी कुल लागत 1,85,000 हजार (रू0 एक लाख पच्चासी हजार) निर्धारित किये जाने जिसमें रू0 1,60,000 (रू0 एक लाख साठ हजार) शासकीय अंश तथा 25,000 (रू0 पच्चीस हजार) लाभार्थी अंश रखे जाने का राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार एक मछुआ आवास के रू0 1,60,000-00 शासकीय अंश में प्रति आवास भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश के उपरान्त शेष शासकीय अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

4- मछुआ आवास की विशिष्टियों का निर्धारण मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त अलग से सूचित किया जायेगा। मछुआ आवास का क्षेत्रफल भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर तक सीमित रहेगा।

5- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मछुआ आवास के सम्बंध में सभी सम्बंधित को अवगत कराने तथा उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /सत्रह-म-2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **प्रमुख सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन।**
2. **स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव , उ0प्र0 शासन।**
3. **स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।**
4. **गार्ड फाइल**

आज्ञा से

http://shasanadesh.up.nic.in

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in